बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

संख्या–4/ब1–10–05/2011........................./बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–55 एवं 97 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। (1) यह नियमावली 'बिहार पुलिस आशु संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2018' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 (अधिसूचना संख्या–6838 दिनांक–23.08.2017) के नियम–7 के उप नियम (2) में संशोधन। – नियम–7 के उप नियम (2) की टिप्पणी–2 के बाद निम्नलिखित टिप्पणी–3 जोड़ी जाएगी –

"टिप्पणी–3. सामान्य अभ्यर्थियों पर चिकित्सकीय परीक्षण के संबंध में ऊपर उल्लिखित लागू प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में अंतर्विष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(रंजन कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–.4/ब1–10–05/2011../पटना, दिनांक ...., 2018

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/प्रभारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि नियमावली की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ गृह विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–.4/ब1–10–05/2011..........1970........../पटना, दिनांक ....8/3.........., 2018

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती)/अध्यक्ष, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवयक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव